लैंड पूलिंग नीति के अंतर्गत भागीदारी हेतु इच्छा की अभिव्यक्ति के लिए प्रक्रिया:

1 भागीदारी हेतु इच्छा की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने के लिए दि.वि.प्रा. की वेबसाइट का वेब इनेबल्ड इंटरफेस आरंभ किया गया।

2 किसी भी आकार के समीपवर्ती भू-खण्ड वाले कोई भी भू-स्वामी वेबसाइट पर पंजीकरण के लिए आगे आएं । (प्रत्येक समीपवर्ती भू-खण्ड के पृथक रूप से पंजीकरण की आवश्यकता होगी।)

पंजीकरण के लिए:

- ऑनलाइन आवेदन फॉर्म पर विवरण भरने और निर्दिष्ट शुल्क /फीस के भुगतान के लिए एकल स्वामी /बहु सह-स्वामी ।
- आवेदक को नीति के भाग के रूप में भविष्य में उपयोग करने हेतु यूनिक रजिस्ट्रेशन आई.डी. प्रदान किया जाएगा ।

अपलोड करने के लिए स्व-अनुप्रमाणित दस्तावेज:

1. फर्द
2. विक्रय विलेख /जमाबंदी /खतौनी (वर्तमान)
3. पैन कार्ड, फोटो, हस्ताक्षर
4. पंजीकरण प्रमाणपत्र, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी (एस.पी.ए.), यदि लागू हो
5. प्राधिकार प्रमाण, यदि लागू हो

3 **उक्त आवेदन-पत्र की पावती के रूप में दि.वि.प्रा. द्वारा जारी ई-रसीद**
(यह रजिस्ट्रेशन दि.वि.प्रा. द्वारा किसी प्रकार के प्रमाणन के रूप में न माना जाए और न ही पंजीकृत भू-खण्ड के किसी सत्यापन की आवश्यकता है तथा न ही किसी परियोजना के प्रचार और उक्त भूमि के संबंध में किसी व्यक्ति /समूह द्वारा धनराशि के संग्रहण का अधिकार देता है । ऐसा करना कानून का उल्लंघन होगा और कानून के अनुसार दंड दिया जाएगा /कार्रवाई की जाएगी।)

4 रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार द्वारा भू-खण्डों का सत्यापन (दि.वि.प्रा. की एकल विंडो प्रणाली से आवेदन स्वत: ही रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग में भूमि के सत्यापन के लिए जाता है।)

5 सेक्टर की न्यूनतम 70% समीपवर्ती भूमि का संग्रहण होने पर राजस्व विभाग से अभिलेखों का सत्यापन कराया जाएगा ।

6 सेक्टर में 70% समीपवर्ती भूमि के पूल किए जाने पर कन्सोर्टियम के गठन हेतु दि.वि.प्रा. द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा ।

7 कंसोर्टियम का गठन ।

8 कंसोर्टियम सभी संघटक भू-स्वामियों के परामर्श से कार्यान्वयन योजना तैयार करेगा और उनके बीच औपचारिक संविदा करार पर हस्ताक्षर करेगा ।

9 कंसोर्टियम अनंतिम विकास लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए दि.वि.प्रा. में आवेदन करेगा ।